

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमाक

/2017 PBR/निगरानी/गुना/श्र-21/2017/1828

1. गुलाव बाई पत्नि नन्दराम लोधा
2. नन्दराम पुत्र देवलाल लोधा
3. चैनसिंह पुत्र श्री नन्दराम लोधा
4. बनवारी पुत्र नन्दराम लोधा
5. गोविन्द पुत्र नन्दराम लोधा
6. गोविन्द पुत्र स्व श्री छोटेलाल लोधा समस्त निवासी कस्वा चाचोडा नारायणपेट मोहल्ला चाचोडा गुना



श्री सुनील सिंह पंडित
द्वारा आज दि. 20-6-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20.6.17
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

7. छोटया पुत्र पहलवान मेहतर
आवेदक क 6 को छोडकर समस्त आवेदक क 1
लगायत 5 निवासीगण ग्रम मुहासाकलॉ तहसील
चाचोडा जिला गुना म.प्र.।

8. कमलाबाई पत्नि कमलेश पुत्र दौजीराम अहिरवार
9. भरपीवाई पत्नि गोपाल पुत्र देवीलाल अहिरवार
10. रममवाई पत्नि हेमराम पुत्र देवीलाल अहिरवार
11. गीताबाई पत्नि रामप्रसाद पुत्र नाथूलाल अहिरवार
12. पानवाई पत्नि मिश्रीलाल अहिरवार पुत्र नाथूलाल अहिरवार
13. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह मृतक वैध वारिस-1.-वीरेन्द्र सिंह 2.-टिलू सिंह

समस्त निवासीगण ग्रम मुहासाकला तहसील
चाचोडा गुना



20/6/17
20/6/17



विरुद्ध

1. मूलचन्द्र पुत्र छीतर लोदा
2. रामप्रसाद पुत्र छीतर लोदा
3. पांचीवाई पुत्री छीतर

समस्त निवासीगण ग्राम मुहासाकला तहसील चाचौडा गुना म.प्र.

.....अनावेदकगण

निगरानी मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन
नायव तहसीलदार परगना चाचौडा जिला गुना म.प्र. के प्रकरण क
01/अ-13/15-16 में पारित आदेश 2.6.2017 के विरुद्ध।



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1228/12

जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-7-2017	<p>आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 2-6-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16-2-2017 के पालन में विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p>	<p>अध्यक्ष</p>